

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 47)

[12 दिसम्बर, 2019]

नागरिकता अधिनियम, 1955

का और संशोधन

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्रवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का
संशोधन ।

2. नागरिकता अधिनियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1955 का 57

“परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति को, जो 31 दिसंबर, 2014 को या उसके पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा या उसके अधीन अथवा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों या उसके अधीन किए गए किसी आदेश के लागू होने से छूट प्रदान की गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा;”।

1920 का 34

1946 का 31

3. मूल अधिनियम की धारा 6क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 2 की
उपधारा (1) के
खंड (ख) के
परन्तुक
अंतर्गत आने
वाले व्यक्ति की
नागरिकता के
बारे में विशेष
उपबंध ।

'6ख. (1) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, ऐसी शर्तों, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस निमित्त किए गए आवेदन पर, धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगी ।

(2) धारा 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने या तृतीय अनुसूची के उपबंधों के अधीन देशीयकरण की अर्हताओं के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति को, जिसे उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा ।

(3) नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख से ही इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित किसी भी कार्यवाही का, उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने पर उपशमन हो जाएगा:

परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है और केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा, यदि वह अन्यथा इस धारा के अधीन नागरिकता अनुदत्त किए जाने के लिए अर्हतिपाया जाता है :

परंतु यह और कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा आवेदन करने के आधार पर, उसके ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा, जिनके लिए वह उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख को हकदार था ।

(4) इस धारा की कोई बात, संविधान की छठी अनुसूची में यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्र और बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम, 1873 के अधीन अधिसूचित “आंतरिक रेखा” के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगी ।’।

4. मूल अधिनियम की धारा 7घ में,—

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,

1873 का
विनियम 5
धारा 7घ का
संशोधन ।

अर्थात् :—

“(घक) भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के उपबंधों का अतिक्रमण किया है ; या” ;

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा,
अर्थात् :—

“परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिक को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता ।”।

5. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) में, खंड (डड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 18 का
संशोधन ।

“(डडां) धारा 6ख की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या देशीयकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की शर्त, निर्बंधन और रीति ;”।

6. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

तृतीय अनुसूची
का संशोधन ।

‘परन्तु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिन्दू सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति के लिए इस खंड के अधीन यथापेक्षित भारत में निवास या भारत में की किसी सरकार की सेवा की कुल अवधि को “व्यारह वर्ष से कम नहीं” के स्थान पर “पांच वर्ष से कम नहीं” के रूप में पढ़ा जाएगा ।’।

राष्ट्रपति ने दि सिटीजनशिप (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Citizenship (Amendment) Act, 2019 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.